

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
आई0सी0डी0एस0
चन्दौली

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,
चन्दौली।

पत्रांक- 642-43 / जि0का0अधि0 / 2014-15 / दिनांक 31-10-2014
महोदय,

सादर अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देश दिनांक 18.10.2014 के द्वारा जनपद की संचालित बाल विकास परियोजनाओं में संचालित ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर हॉट कुकड उपलब्ध कराये जाने के क्रम में प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापित एवं संबंधित शासनादेश की प्रति जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के अनुक्रम में विज्ञापित एवं शासनादेश की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय


31-10-14

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बाल विकास , चन्दौली।

पृ0प0सं0- _____ / तददिनांक-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1-जिलाधिकारी महोदय चन्दौली की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बाल विकास , चन्दौली।

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आई०सी०डी०एस० योजनान्तर्गत हॉट कुकड फूड योजना के संचालन में सहभागिता हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं (एन०जी०ओ०) के चयन हेतु निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार उ० प्र० लखनउ के पत्र सं०- सी० 847 / वा०वि०परि० / योजना-01 / 2013-14 दिनांक 06 सितम्बर-2013 एवं शासन के पत्र सं०-1467/60-2-13-2/1 (58)/12 दिनांक 27 अगस्त-2013 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में जनपद की बाल विकास परियोजना नियमताबाद, सदर, शहाबगंज, बरहनी, चकिया, नौगढ़, सकलडीहा, चहनियों एवं धानापुर की 1714 ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर आई०सी०डी०एस० योजना के अन्तर्गत हॉट कुकड फूड्स योजना के संचालन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। जिसकी पात्रता/अर्हता निम्नवत होगी:-

- 1- स्वयंसेवी संस्थाएं (एन०जी०ओ०) सोसाइटी एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा राजनैतिक व धार्मिक प्रकृत की न हो एवं संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदन प्रस्तुत करने तक वैध हो।
- 2- स्वयंसेवी संस्थाएं (एन०जी०ओ०) कम से कम तीन वर्षों से कार्यरत हो तथा उनका तीन वर्षों का लेखा-जोखा चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा अंकेक्षित (Audited) हो।
- 3- स्वयंसेवी संस्थाएं (एन०जी०ओ०) को केन्द्र/राज्य सरकार और इनके किसी अभिकरण एवं सेन्ट्रल सोशल वेल्फेयर बोर्ड (सी०एस०डब्लू०बी०) या काउंसिल फॉर दी एडवान्सेमेंट ऑफ पीपुल्स ऐक्सन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी (कपार्ट) द्वारा काली सूची में डाला न गया हो।
- 4- स्वयंसेवी संस्थाएं (एन०जी०ओ०) को किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के निकाय के वित्ती लाभ के लिए संचालित न हो रही है तथा हॉट कुकड फूड योजना के कार्य (न लाभ न हानि) सिद्धान्त के तहत कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध हो।
- 5- स्वयंसेवी संस्थाएं (एन०जी०ओ०) आयकर नियमावली के धारा 12 ए के अन्तर्गत पंजीकृत हो।
- 6- स्वयंसेवी संस्थाएं (एन०जी०ओ०) जनपद में चयन हेतु पात्र होगी, जिनके द्वारा विगत तीन वर्षों में कम से कम एक वर्ष भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा, उनके द्वारा संचालित कार्यक्रम जैसे मिड-डे-मिल, हॉट कुकड में कार्य करने का अनुभव हो।
- 7- स्वयंसेवी संस्थाएँ (एन०जी०ओ०) संस्था का मुख्यालय/कार्यक्षेत्र, सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत पंजिकरण वर्ष, कार्य का अनुभव, टर्न ओवर, कर्मचारियों की संख्या, जनपद में प्रशासनिक ढाँचा एवं उसकी अवधि, मिड-डे-मिल का हॉट कुकड फूड में अनुभव, प्राप्त अनुदान/किसी अन्य माध्यम से लिये गये धनराशि का विवरण, सी०ए० द्वारा अंकेक्षित प्रति का विवरण अपने प्रस्ताव के साथ प्रत्येक दशा में अंकित करेगी।
- 8-हॉट कुकड फूड वितरण की इकाई बाल विकास परियोजना होगी।

9-स्वयंसेवी संस्था का सेन्ट्रल किचेन परिसर स्वच्छ, हवादार, साफ-सुथरा तथा एकजास्ट फैन से युक्त होगा एवं संबंधित किचेन का प्रार्थना पत्र के साथ फोटोग्राफी भी संलग्न करके परिसर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

10-संस्था का सेन्ट्रल किचेन सी0सी0 टी0वी0 कैमरा युक्त होना चाहिए, जिसका बैकअप एक माह का होगा।

11-संस्था द्वारा प्रस्ताव के साथ रू0 20000.00 का रिफन्डेबुल जमानत धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में संलग्न करना होगा, जो जिला कार्यक्रम अधिकारी के पदनाम बंधक होगा।

12-स्वयंसेवी संस्था को प्रस्ताव के साथ स्व पता लिखा हुआ दो लिफाफा, जिसपर रूपया-40.00 का डॉक टिकट चस्पा हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

13-स्वयंसेवी संस्थाएँ (एन0जी0ओ0) अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक द्वारा अथवा सीधे जिला कार्यक्रम कार्यालय, सवेश्वरी कॉलोनी (यूनियन बैंक के पीछे) चन्दौली में अन्तिम तिथि-17-11-2014 के 31-10-15-00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि व समय के बाद किसी भी दशा में कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

नोट- आवेदन करने वाली संस्थाओं को अपनी पत्रावली के प्रथम पृष्ठ पर विषय सूची (इन्डेक्स) लगाना अनिवार्य है, जिससे पत्रावली का परीक्षण सुगम हो सके। हॉट कुकड फूड वितरण हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन के मापदण्ड, भोजन पकाने एवं वितरण की शर्तें, भुगतान की व्यवस्था, योजना क्रियान्वयन की शर्तें, योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, निरीक्षण एवं अनुश्रवण के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला कार्यक्रम कार्यालय, बाल विकास चन्दौली के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बाल विकास, चन्दौली।

कार्यालय: जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0, चन्दौली।

पत्रांक सं0-~~सं. 64~~ / जि0का0अधि0/ विज्ञप्ति/ 2014-15/ दिनांक- 31-10-2014

प्रतिलिपि:- 1-जिला सूचना अधिकारी चन्दौली को इस आशय से प्रेषित है कि अपने स्तर से दो राष्ट्रीय/प्रदेश स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

Pina
31-10-14
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बाल विकास, चन्दौली।

प्रेषक,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्पाहार
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक /बा0वि0परि0/योजना-01/2013-14 दिनांक 6 सितम्बर 2013

विषय:-आई0सी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत हॉट कुकड फूड योजना के संचालन में सहभागिता हेतु स्वयं सेवी संस्था(एन0जी0ओ0) के चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्रांक-1467/60-2-13-2/1(58)/12 दिनांक 27 अगस्त, 2013 का अवलोकन करने का कष्ट करें (छाया प्रति संलग्न)। अनुरोध है कि आई0सी0डी0एस0 योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर हॉट कुकड फूड के संचालन हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) के चयन के सम्बन्ध में शासन द्वारा प्रतिपादित दिशा-निर्देश के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये जनपद में स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या 0-0-0-0 / तददिनांक।

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि शासन द्वारा प्रतिपादित दिशा-निर्देशों (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार अपने जनपद में स्वयं सेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) का चयन जिलाधिकारी के माध्यम से कार्यवाही पूर्ण कराते हुये कृत कार्यवाही से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक।

प्रेषक,

मिश्रीलाल पासवान,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 27 अगस्त, 2013

विषय: आई.सी.डी.एस. योजनान्तर्गत हाट कुकड फूड योजना के संचालन में सहभागिता हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं (एन.जी.ओं.) के चयन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1842/वा.वि.परि./योजना-01/2013-14 दिनांक 22.05.13 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आई.सी.डी.एस. योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर हाट कुकड फूड योजना के संचालन में सहभागिता हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं (एन.जी.ओं.) के चयन के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त कतिपय दिशा निर्देश प्रतिपादित किये गये हैं।

अतएव उक्त दिशा निर्देशों की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि कृपया उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार स्वयंसेवी संस्थाओं (एन.जी.ओं.) के चयन के अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(मिश्रीलाल पासवान)
विशेष सचिव

श्री 20/13

3/9/13

आई0सी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत हॉट कुकड फूड योजना के संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ) के चयन के संबध में दिशा-निर्देश

हॉट कुकड फूड योजना उ0प्र0 में संचालित समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर संचालित की जा रही है। योजना का क्रियान्वयन बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अन्तर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं आंगनबाड़ी सहायिका द्वारा किया जाता है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता हेतु किन दिशा-निर्देशों के आधार पर स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन किया जायेगा अथवा स्वयंसेवी संस्थाओं की पात्रता की शर्तें क्या होगी। इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश पूर्व से निर्धारित नहीं है। योजनान्तर्गत स्वयंसेवी संस्था हेतु पात्रता/चयन की शर्तें निम्नवत् प्रस्तावित है।

पात्रता/अर्हता

- स्वयंसेवी संस्थायें (एन0जी0ओ) सोसाइटी एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हों तथा राजनैतिक व धार्मिक प्रकृति की न हो एवं संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन प्रस्तुत करने तक वैध हो।
- स्वयंसेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ) कम से कम तीन वर्षों से कार्यरत हों तथा उनका 03 वर्षों का लेखा जोखा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेषित (audited) होना चाहिये।
- स्वयंसेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ) को केन्द्र/राज्य सरकार अथवा और इनके किराी अभिकरण एवं सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड (सी0एस0डब्लू0बी0) या काउंसिल फार दि एडवान्समेन्ट ऑफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूल टेक्नोजीजी (कंपार्ट) द्वारा काली सूची में डाला न गया हो।
- स्वयंसेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ) का किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के निकाय के वित्तीय लाभ के लिये संचालित न हो रही हो तथा हॉटकुकड फूड योजना के कार्य "न लाभ न हानि" सिद्धान्त के तहत कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध हो।
- स्वयंसेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ) आयकर नियमावली की धारा 12-ए के अन्तर्गत पंजीकृत हों।
- स्वयंसेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ) जनपद में चयन हेतु पात्र होंगी जिनके द्वारा विगत तीन वर्षों में कम से कम एक वर्ष भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा उनसे द्वारा संचालित कार्यक्रम जैसे मिड-डे-मील, हॉट कुकड में कार्य करने का अनुभव हो।

चयन प्रक्रिया

- स्वयंसेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ) के चयन हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति की जाती है:-

1.	जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी पद का अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य सचिव
3.	वरिष्ठ कोषाधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी	सदस्य
4.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5.	जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई जिला स्तरीय अधिकारी अथवा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य

- स्वयंसेवी संस्थाओं (एनओजीओ) के चयन हेतु किसी दो पंजीकृत विस्तृत प्रस्तावित दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। विज्ञापन में जिन वर्गों में स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से हॉट कुकड फूड का वितरण किया जाना है उसका उल्लेख अवश्य किया जायेगा। हॉट कुकड फूड वितरण की इकाई बाल विकास परियोजना होगी।
- स्वयंसेवी संस्थाओं (एनओजीओ) से आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त कराया जाएगा तथा व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराये गये आवेदन की प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराये गये समस्त आवेदन पत्रों को एक पृथक रजिस्टर में तिथिवार दर्ज कर सुव्यवस्थित रखा जाएगा।
- संस्था के बैंक खाते में संस्था की सारा राशि/उत्पत्तियों द्वारा बैंक या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त धनराशि का विवरण।
- स्वयंसेवी संस्थाओं (एनओजीओ) से आवेदन पत्रों की प्राप्ति के उपरान्त जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अर्हता/पात्रता आदि शर्तों के आधार पर समस्त आवेदन पत्रों का सम्पूर्ण परीक्षण कर चयन समिति के समक्ष निम्न प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा।
- ऐसी कुछ बड़ी संस्थायें भी हो सकती हैं जो एक साथ कई जनपदों में कार्य करने में सक्षम हों। इस प्रकार यदि किसी संस्था से कई जनपदों में कार्य करने का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो इस सम्बन्ध में विचारापरान्त निर्णय लिए जाने हेतु निदेशक, आई.सी.डी.एस की अध्यक्षता में निम्नवत् समिति गठित की जाती है:-

1. निदेशक, आई.सी.डी.एस
2. विशेष सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग
3. निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।
4. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, आई.सी.डी.एस
5. अपर निदेशक, वित्त

मूल्यांकन का प्रारूप

संस्था का नाम	संस्था का मुख्यालय/कार्यक्षेत्र	सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण वर्ष	कार्य का अनुभव	दैनिकी	कर्मचारियों की संख्या	जनपद में प्रशासनिक बाधा एवं उत्पत्ती अवधि	मिड-डे-मील या हॉट कुकड फूड में अनुभव	प्राप्त अनुदान/किसी अन्य माध्यम से लिये गये धनराशि का विवरण	सो.ए.ए. द्वारा अंतिम प्रति

चयन के मापदण्ड :-

- चयन समिति द्वारा स्वयंसेवी संस्था के अभिलेखों का परीक्षण कर साक्षात्कार के माध्यम से अन्तिम चयन किया जायेगा एवं चयनित स्वयंसेवी संस्था (एन0जी0ओ0) की सूची उसी दिन कार्मलसड के नोटिस बोर्ड पर वरूपा किया जायेगा।
- चयन समिति द्वारा संस्था की भौतिक एवं वित्तीय क्षमता के आधार पर उनका चयन किया जायेगा तथा परियोजना का आवंटन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- स्वयंसेवी संस्था (एन0जी0ओ0) द्वारा उनको आवंटित परियोजना के अन्तर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केन्द्र में समय पर ताजा गर्म भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। अनुबन्ध पत्र पर जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रथम पक्ष के रूप में हस्ताक्षर करेंगे।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा साप्ताहिक आधार पर बच्चों की संख्या के आधार पर आपूर्ति आदेश (indent) संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।
- स्वयंसेवी संस्था (एन0जी0ओ0) को आवंटित परियोजना पर उनके पास सेंट्रल आटोमेटिक / सेमी आटोमेटिक किचन जहाँ खाने का निर्माण किया जाना है, उपलब्ध/प्रस्तावित होना चाहिये।
- आंगनबाड़ी केन्द्र तक समय पर ताजा पका भोजन पहुंचाने हेतु संसाधन (इन्सुलेटेड वैन/मोटर वाहन आदि) होना चाहिये।
- भोजन पकाने एवं आंगनबाड़ी केन्द्र तक ताजा पका भोजन उपलब्ध कराने में प्रयुक्त होने वाले बर्तन, गैस सिलेण्डर/निवगानुसार गैस कनेक्शन तथा भोजन में प्रयुक्त सामग्री का एग्मार्क प्रमाणित होना/ब्राण्डेड होना तथा आयाडाईज्ड नमक का प्रयोग किया जाना तथा स्वच्छ पेयजल आदि का उपलब्ध होना अनिवार्य है।
- स्वयंसेवी संस्था (एन0जी0ओ0) के पास प्रशिक्षित रसोईये/स्टाफ की उपलब्धता होनी चाहिये।

भोजन पकाने एवं वितरण की शर्तें

- हॉटकुक्ड फूड शासन द्वारा निर्धारित मन्चू के अनुसार ही प्रतिदिन आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्य दिवस में चयनित स्वयंसेवी संस्था (एन0जी0ओ0) द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- चयनित स्वयंसेवी संस्था (एन0जी0ओ0) द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपस्थित बच्चों को समय पर गुणवत्तायुक्त गर्म पका-पकाया भोजन निर्धारित मात्रा में उपलब्ध कराया जायेगा। आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन का समय ग्रीष्मकाल में प्रातः 08 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक तथा शीतकाल में 10 बजे से मध्याह्न 02 बजे तक होगा। अतः हॉट कुक्ड फूड आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ग्रीष्मकाल में 10 से 11 बजे के मध्य तथा शीतकाल में 12 से 01 बजे के मध्य उपलब्ध कराया जायेगा।

- स्वयंसेवी संस्था (एन0जी0ओ0) द्वारा प्राप्त की गई फूड को स्वादिष्ट, गुणवत्तापूर्ण निर्धारित मात्रा में प्रोटीन, विटामिन एवं कैल्शियम युक्त होना आवश्यक है। संस्था इसका लिपि पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी। यदि इनका खाना अन्न की कमी पायी जाती है तो स्वयंसेवी संस्था (एन0जी0ओ0) के निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी।
- सेन्द्रल किचन से आगनवाडी केन्द्रों में लाने वाले कर्मियों का विवरण परियोजना कार्यालय / जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में रखा जायेगा। वितरण कार्य में लगे कर्मियों को स्वयंसेवी संस्था द्वारा बर्तन व नया प्लेट व फोटायुक्त आई कार्ड अवकाश दिया जायेगा। भाजन पहुचाने हेतु कर्मियों को वाहन एवं वाहन चालकों का व्यय एन0जी0ओ0 द्वारा जिला कार्यक्रम कार्यालय एवं सम्बन्धित परियोजना कार्यालय में पूर्व में उपलब्ध कराया जायेगा। यदि किसी कारणवश भाजन वितरण करने वाले कर्मियों में कोई बदल की जाती है जो ऐसी स्थिति में इसकी जानकारी पूर्व से जिला कार्यक्रम अधिकारी / बाल विकास परियोजना अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।
- स्वयंसेवी संस्था द्वारा आगनवाडी केन्द्रों पर लाये गये हॉटकुक्ड फूड को आगनवाडी कार्यकर्त्री द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा आगनवाडी सहायिका के माध्यम से उन लाभार्थियों के मध्य वितरित किया जायेगा। आगनवाडी केन्द्र पर प्राप्त हॉटकुक्ड फूड को आगनवाडी कार्यकर्त्री एवं मातृ सप्ली के किसी सदस्य द्वारा प्रतिदिन जांच जायेगा।
- आगनवाडी केन्द्र पर हॉटकुक्ड फूड के मीनू एवं काल सेन्टर का तबियत ऑफिशियल किया जायेगा जिससे कि मीनू के अनुसार आगनवाडी प्राप्त होने पर अथवा भाजन की गुणवत्ता ठीक न होने / बाधित होने पर शिकायत दर्ज करायी जा सके।
- स्वयंसेवी संस्था (एन0जी0ओ0) द्वारा आगनवाडी केन्द्र पर बच्चों की उपस्थिति के साथ प्रतिदिन उपलब्ध कराये जा रहे गये फूड को जिला कार्यक्रम अधिकारी आगनवाडी केन्द्रों द्वारा प्रमाणित कराया जाना अनिवार्य होगा।

भुगतान की व्यवस्था

- स्वयंसेवी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) को उनके अन्न को कोई अग्रिम धनराशि योजना में संचालन हेतु नहीं दी जायेगी।
- आगनवाडी केन्द्र में बच्चों की वसतिगृह उपस्थिति को अनुमान स्वयंसेवी संस्था (एन0जी0ओ0) द्वारा उपलब्ध कराये गये बच्चों वकाश योजना को आगनवाडी कार्यकर्त्री एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, के अनुसार ही माहवार बिल प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- स्वयंसेवी संस्था (एन0जी0ओ0) को भुगतान हेतु उनके बिल को परीक्षापरान्त ऑफिशियल लिपि से 15 दिनों के अन्दर भुगतान को प्रमाणित किया जायेगा।

- स्वयंसेवी संस्था (एन0जी0ओ0) द्वारा नियमित रूप से निर्धारित मात्रा में मैन्यू एवं गुणवत्तायुक्त भोजन न उपलब्ध कराये जाने की दशा में माह में भुगतान की जाने वाली धनराशि से सम्बन्धित दिवस में सम्बन्धित लाभार्थियों हेतु उपयोग में लायी गयी कुल धनराशि से निम्नानुसार कटौती की जायेगी।

- | | |
|---|--|
| • मैन्यू के अनुसार भोजन न उपलब्ध कराये जाने पर | 10 प्रतिशत |
| • भोजन में निर्धारित मात्रा मानक के अनुसार खाद्य सामग्री की मात्रा प्रयुक्त न होने पर | 50 प्रतिशत तक |
| • भोजन उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में | प्रति केन्द्र प्रति केन्द्र रु० 100 का अतिरिक्त दण्ड शुल्क वसूला जायेगा। |

योजना क्रियान्वयन की शर्तें

- स्वयंसेवी संस्था (एन0जी0ओ0) को जनपद द्वारा दो वर्ष के लिये अनुबन्धित किया जायेगा तथा योजना अनुरूप कार्य संतोषजनक होने के आधार पर चयन समिति द्वारा सम्बन्धित स्वयंसेवी संस्था (एन0जी0ओ0) का पुनः एक वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जा सकता है। यदि संस्था द्वारा नियमित रूप से गुणवत्तायुक्त भोजन आंगनवाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है अथवा अन्य किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है अथवा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो जिलाधिकारी द्वारा नोटिस देकर स्वयंसेवी संस्था को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनुबन्ध समाप्त किये जाने का अधिकार होगा।
- स्वयंसेवी संस्था (एन0जी0ओ0) को समय समय पर जनपद निदेशालय एवं शासन द्वारा मांगी जाने वाली रिपोर्ट एवं सूचनाएँ उपलब्ध करानी होंगी।
- स्वयंसेवी संस्था (एन0जी0ओ0) द्वारा योजना के अन्तर्गत गत माह के बिल आगामी माह की 07 तारीख तक अनिवार्यतः जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- स्वयंसेवी संस्था (एन0जी0ओ0) को योजना के संचालन से सम्बन्धित समस्त ऑनलाइन तथा लेखा-बही, कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर आदि पृथक से रखने होंगे तथा समय समय पर आवश्यकतानुसार परीक्षण हेतु जनपद, निदेशालय तथा शासन के अधिकारियों का एवं सम्प्रेक्षा हेतु उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
- स्वयंसेवी संस्था (एन0जी0ओ0) को राष्ट्रीय एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित योजनास्तरीय बजट एवं व्यय की वार्षिक आख्या उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :-

- स्वयं सेवा संस्था के द्वारा प्रकाशित जा रहे योजना के निरीक्षण हेतु विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण का रजिस्टर बनाकर उसे जिलाधिकारी से अनुमोदित कराया जायेगा।
- स्वयंसेवी संस्था (एन0जी0ओ0) का अनुबन्ध अवधि में नियमित तौर पर प्रत्येक माह में योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन हेतु निम्नवत टारगट फॉर्म का गठन किया जायेगा -

